न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सपोटरा जिला करौली

पीठासीन अधिकारी– श्री राजपाल यादव आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी सपोटरा

	किरम	ता0दायरा	तारीख निर्णय
0			
17	दावा	22.09.17	25.04.18

ना 73/12)

1. रामफूल पुत्र किशोरी जाति धोबी निवासी करणपुर तह0 सपोटरा जिला करौली(मृतक)
   1/1. स्वरूपी पत्नि स्व0 रामफूल
   1/2. रघुवीर पुत्र स्व0 रामफूल
   1/3 लाला पुत्र स्व0 रामफूल
   जातियान धोबी निवासी करणपुर तहसील सपोटरा जिला करोली।

–वादीगण

बनाम

1. राजू पुत्र प्रभू जाति मीना निवासी महल ढांकरी।
2. हल्के पुत्र हजारी मीना निवासी करणपुर।
3. लच्छी पुत्र परसू मीना निवासी करणपुर।
4. शिवराज । पिसरा रामनाथ मीना निवासी डंगरिया।
5. बबलू ।
6. रामनाराण पुत्र नामालूम निवासी राहिर बनीजरा।
7. रामकुमार मीना पूर्व सरपंच निवासी घूसई।
8. कमलेश पुत्र मूला मीना निवासी घूसई।
9. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।

–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 111,112 एल.आर.एक्ट व 188 आर.टी.एक्ट

उपस्थितः– श्री मदनमोहन गुप्ता वकील वादीगण।

संक्षेप में वाद तथ्य वादीगण इस प्रकार से है कि वादीगण ने एक वाद रूद्व प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया है कि आराजी खसरा नं0 297/1 रकबा 05 घा वाके ग्राम करणपुर तहसील सपोटरा वादी की खातेदारी की है। उक्त आराजी मुझ वादी ने पूर्वजों से ही कब्जेकाश्त व खातेदारी की है तथा उक्त आराजी मे होकर ग्राम करणपुर से ण्डरायल के लिए रोड़ निकल चुका है। इसलिए उक्त आराजी रोड़ पर आने के कारण कीमती हो चुकी है। वादी जाति से धोबी गरीब व्यक्ति है जबकि प्रतिवादी सं0 1 ता 8 ाहुबल मीना जाति के सदस्य है जो कि लाठी के बल पर दिनांक 15.10.12 को वादी की कब्जाशुदा आराजी व खातेदारी की आराजी मे झाड़ियों को बाड़ को जलाकर नष्ट कर दिया। ादी जोतने बोने जाते है तो मारने पर आमादा है। प्रतिवादीगण ने एलानिया धमकी दी कि तुम इस जमीन को काश्त करोगे तो तुम्हे जान से खत्म कर देगें। प्रतिवादीगण राजनैतिक व सहजोर व्यक्ति है जो कि वादी की गरीबी हालत को देखकर खातेदारी की आराजी को जबरन लट्ठ के बल पर हड़पने पर आमादा है जबकि प्रतिवादी सं0 1 ता 8 का उक्त आराजी से किसी प्रकार का कोई तालुकात नही है। विवादित आराजी रोड़ के किनारे आने के कारण प्रतिवादीगण निर्माण कार्य करने पर आमादा है। वादीगण की उक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी जिस पर करीबन पचासों साल पूर्व से काश्त करते चले आ रहे है जिसकी गिरदावरी वाद पत्र के साथ संलग्न है तथा मौके पर कब्जा होने के कारण पटवारी हल्का करणपुर से अपनी खातेदारी की उक्त आराजी की नक्शा ट्रेस लेने के लिए कहा तो पटवारी हल्का करणपुर ने नक्शा ट्रेस देने से इंकार कर दिया। इसलिए वादीगण ने वाद पत्र पेश कर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने एवं वादीगण की खातेदारी की आराजी का कब्जा अनुसार तरमीम कराया जाने का निवेदन किया है।

Scanned by CamScanner

वादी का वाद पत्र इस न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर कर दिनांक 03.06.2016 को रस्व लोक अदालत अभियानः न्याय आपके द्वार– 2016 मे खारिज किये जाने के कारण ीगण द्वारा उक्त निर्णय के विरूद्व माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई ोपुर के यहॉ अपील किये जाने से माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई ोपुर ने अपने निर्णय दिनांक 14.09.2017 के द्वारा अपील अपीलांट्स आंशिक रूप से ीकार की जाकर इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 03.06.2016 को अपास्त कर प्रकरण इस शय के साथ इस न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया है कि पक्षकारान को साक्ष्य सुनवाई का ुचित अवसर देते हुए पुनः निर्णय पारित करे।

दावा वादीगण दर्ज कर तलवी प्रतिवादीगण जरिये कोर्ट नोटिस की गई। तिवादीगण बावजूद नोटिस तामील उपस्थित न्यायालय नही आये इसलिए इनके विरूद्व कतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये।

वकील वादीगण ने साक्ष्य मे वादी रघुवीर पीडब्ल्यू–1, गवाह शत्रुध्न डब्ल्यू–2 तथा साबू पीडब्ल्यू–3 के शपथ पत्र पेश किये जिनसे जिरह रिकार्ड की गई तथा स्तावेजी साक्ष्य मे वकील वादीगण द्वारा नकल जमाबंदी ग्राम करणपुर सम्वत् 2067–70 र्श–1, खसरा गिरदावरी ग्राम करणपुर सम्वत् 2063–66 प्रदर्श–2, खसरा गिरदावारी ग्राम रणपुर सम्वत् 2067–68 प्रदर्श–3, असल पंचनामा प्रदर्श–4 एवं नक्शा ट्रेस प्रदर्श–5 पेश ये है। वकील वादीगण की एकतरफा बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक वादीगण की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का लोकन किया गया। पत्रावली मे संलग्न जमाबंदी संम्वत् 2067–70 मौजा करणपुर के ुसार यह निर्विवाद रूप से प्रमाणित है कि विवादित आराजी खसरा नं0 297/1 किस्म रानी–2 रकबा 05 बीघा भूमि वादी नं0 1/1 के पति तथा वादी सं0 1/2 व 1/3 के पिता नफूल पुत्र किशोरी कौम धोबी निवासी करणपुर के रिकार्डेड खातेदारी मे दर्ज है। उक्त भूमि नफूल को जरिये आवंटन प्राप्त हुई है। पत्रावली मे संलग्न राजस्व नक्शें के अनुसार खसरा) 297 बडा नम्बर है जिसमे कोई तरमीम नही है। अतः जब तक विवादित खसरा नं0 7/1 की तरमीम पृथक से नही की जावे तब तक यह कहना कानूनन संभव नही है कि क्त विवादित खसरा नं0 कहॉ पर स्थित है। तरमीम किये जाने के पश्चात् ही विवादित सरा नं0 की सही मौका स्थिति कब्जे आदि की रिपोर्ट प्राप्त किया जाना उचित होगा। अतः ब तक राजस्व नक्शे मे मौका ही तरमीम के रूप मे अंकित नही हो, तब तक विवादित भूमि र दखलंदाजी नही करने का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के तहत स्थायी षेधाज्ञा का आदेश पारित किया जाना कानून सम्मत् नही है।

लेकिन प्रत्येक खातेदार का यह अधिकार है कि वह अपनी खातेदारी की ूमि की तरमीम एल.आर.एक्ट व लैण्ड रिकार्ड रूल्स के प्रावधानों के तहत करा सके। इसलिए ल.आर.एक्ट की धारा 111 व 112 के तहत वादीगण को विवादित भूमि की तरमीम किये जाने का अनुतोष दिया जाना न्यायोचित है। इसलिए उपर्युक्त विवरणानुसार वादीगण का दावा आंशिक रूप से (एल.आर.एक्ट की धारा 111 व 112 के तहत) डिक्री किया जाना उचित है।

अतः दावा वादीगण आंशिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार सपोटरा को आदेश दिये जाते है कि वह एल. आर. एक्ट व लैण्ड रिकार्ड रूल्स के प्रावधानों के तहत वादीगण की खातेदारी की भूमि खसरा नं0 297/1 रकबा 05 बीघा मौजा करणपुर की राजस्व नक्शें मे तरमीम करे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(राजपाल यादव आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी
सपोटरा जिला करौली

Scanned by CamScanner